# GST HINDI UPDATE No 220 ON ISSUANCE OF DRC-01A

आज हम आपको गुजरात HIGH COURT के निर्णय के बारे में चर्चा करेंगे जिसमे उन्होंने निर्णय दिया है कि DEPARTMENT को सीधे ही ASSESSEE को SHOW CAUSE NOTICE (DRC-01) नहीं दे देना चाहिए। पहले उसको INTIMATION देना चाहिए ताकि उसको अपने द्वारा की गयी गलती की जानकारी मिले और वो उस पर यदि उसे TAX का PAYMENT कर सके। इसके बाद भी वो टैक्स जमा नहीं करवाता है तो उसको SHOW CAUSE NOTICE (DRC-01) PROVIDE करना चाहिए।

यह केस M/S AGROMETAL VENDIBLIES PVT LTD का है। इस केस में ASSESSEE को DEPARTMENT ने SHOW CAUSE NOTICE (DRC-01) दिया और ASSESSEE से TAX जमा करवाने के लिए कहा। इस केस में ASSESSEE ने गुजरात HIGH COURT में WRIT PETITION फाइल की।

ASSESSEE की ओर से कहा गया कि RULE 142(1)(A) और RULE 142 (1A) OF THE CGST RULES, 2017 में साफ़ तौर पर कहा गया है की पहले ASSESSEE को DRC- 01A के रूप में INTIMATION ISSUE की जाएगी ओर यदि ASSESSEE उसका PROPER रिप्लाई देने में FAIL हो जाता है या वो दोषी होने पर भी TAX का PAYMENT नहीं करता है तो DRC 01 को ISSUE किया जाये। पर डिपार्टमेंट ने पहले ही DRC-01 ISSUE कर दिया था।

HIGH COURT ने उपरोक्त बात को ध्यान में रखते हुए DEPARTMENT द्वारा जारी किये गए DRC-01 को रद्द किया ओर DEPARTMENT को यह INSTRUCTION दी की यदि DEPARTMENT चाहे तो फिर से कार्यवाही कर सकता है पर कानून के आधार पर यानि पहले DRC-01A ISSUE करना होगा।

यह MATTER 2019-20 से सम्बंधित था और 2019-20 के GST RULE 142 के आधार पर गुजरात HIGH COURT ने यह DECISION लिया था। पर GOVERNMENT ने 2020-21 में NOTIFICATION NO 79/2020 दिनाँक 15 अक्टूबर 2020 ISSUE किया जिसमे उसने RULE 142(1A) में AMENDMENT कर दिया इसमें उन्होंने “PROPER OFFICER SHALL’ को “PROPER OFFICER MAY” से SUBSTITUTE कर दिया। इसका प्रभाव यह हुआ कि अब GST OFFICER अगर चाहे तो ही DRC-01A ISSUE करेगा। अन्यथा वह सीधे ही DRC-01 भी ISSUE कर सकता है। यानि अब पहले DRC -01A (INTIMATION) ISSUE करना GST अफसर के लिए अनिवार्य नहीं है।